# आदेश(संशोधित)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 ( यथासंशोधित 1994 ) की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचातय रामपुर ने जिला रामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले व्यवसायिक भवन के निर्माण कार्य को नियंन्त्रित करने विषयक उपविधियों अन्तर्गत कार्यालय में प्रबन्धक **श्री चरनपाल सिंह पुत्र स्वः श्री हीरा सिंह सोबती नि0 80–ए,माडल टाउन बरेली के द्वारा** स्वीकृति हेतु व्यवसाय भवन का मानचित्र दिनांक 12.07.2022 को प्रेषित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसकी अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसंरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो, मे नही है। प्रस्तवित मानचित्र जो गाटासं0 47 क्षेत्रफल 0.020 हे0,गाटासं0 66मि0 क्षेत्रफल 0.160 हे0, गाटासं0 67 मि0 क्षेत्रफल 0.140,गाटा सं0 106मि0 क्षेलफल 0.090 हे0,गाटासं0 113मि0 क्षेत्रफल 0.454 हे0,गाटासं0 140मि0 क्षेत्रफल 0.090 हे0 गाटासं0 142मि0 क्षेत्रफल 0.490 हे0 एवं गाटासं0 143 मि0 कुल क्षेत्रफल 1.671 हेक्टेयर मेसे ब्लाक–ए–12597.08,वर्गमी0,ब्लाक–बी–12029.556 ब्लाक–सी–12029.556क्लब एरिया 1459.586 वर्गमी0, वेसमेन्ट क्षेत्र. 12,800.147 कवर्ड एरिया 51नं0 प्लांटस 22414.417 वर्गमी0 कुल 73,330.270 वर्गमी0 मै0 यूनिटुथ प्रोडक्टस प्राईवेट लि0 ग्राम डिबडिवा तहसील विलासपुर रामपुर आवासीय **/व्यवसायिक भवनो स्वीकृति हेतु प्रस्तावित** है, इस प्रकार मानचित्र संख्या/वर्ष 2022–23 का निम्नवत शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत स्वीकृति दिनांक 29.11.2022 के कम में अभियंता एवं अपर मुख्य अधिकारी के विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1–भवन मानचित्र की स्वीकृति इस शर्तो के साथ प्रदान की जाती है कि सिलिग/भू–अर्जन/नजूल/ग्राम समाज सहित भू स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद विवाद पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी की होगी तथा स्वीकृति मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

2– संकटमय स्थिति में भवन का निर्माण नही होगा ।

3– स्वीकृत भवन में अत्याधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री का संग्रहण, वितरण, उत्पादन का कार्य नही होगा।

4–मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराये गया है केवल उस ही प्रयोग में लाया जायेगा ।

5–स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर निरीक्षण किया जा सकें ।

6–आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत आदेशो/निर्देशों का पालन करना होगा।

7–दरवाजे व खिडकिया किसी भी सरकारी भूमि या सड़क की तरफ नही खुलेंगी ।

8–पार्को तथा खुले स्थान में मानको के अनुसार वृक्षारोपण किया जोयगा तथा पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर (बहुमंजिलें मकानो के लिये ) किसी भी प्रकार का निर्माण/ प्रयोजन अनुमन्य नही होगा ।

9–स्वीकृत मकानो का वर्षा/सीबर/नाली के पानी निस्तारण मानक के अनुसार समीपवर्ती नाला/सीवर बनाकर प्रदूषण रहित करके करेगें।

10– भवन निर्माण भूकंम्परोधी मानको के अनुसार करना होगा तथा मानचित्र स्वीकृति तिथि से निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।

11–कार्य स्थल पर कार्य करने वाले लोगो की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी ।

12–स्वीकृत मानचित्र के बावजूद अन्य उन सभी विभगों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक हैं अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

13– लेवर विभाग में कार्य का पंजीकरण /लेवर सेस जमा करने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ताओं का होगा।

14–उक्त स्वीकृति इस उपबन्ध के साथ की जा रही है कि उक्त प्रस्तावित भवन का निर्माण की आईआईटी रूडकी द्वारा प्रस्तावित स्ट्रेचर ड्राइग के अनुरूप ही कराया जायें विचलन की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरायित्व संबंधित निर्माणकर्ता होगा।

15– रूफटाप वाटरहारवेटिंग सिस्टम का निर्माण सभी ब्लाको में करना अनिवार्य होगा।

16– प्रस्तावित प्लाटों (51नग) पर रजिस्ट्री के उपरान्त भवन निर्माण मानचित्र जिला पंचायत,रामपुर से स्वीकृत करना अनिवार्य होगा

17– उक्त स्वीकृति इस उपबन्ध के साथ निर्गत की जा रही है प्रस्तावित निर्माण स्थल चकबन्दी के अभिलेख जो आप द्वारा प्रस्तुत किये गये है चकबन्दी समाप्त होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत खाता संख्या/खसरा खतौनी कार्यालय में प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृत हेतु आवेदक दवारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है प्रस्तावित भवन उपयोग अनुमन्य भू–उपयोग से भिन्न है प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का हैं और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं भड़काने का स्त्रोत, अथवा आस–पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो तो जिला पंचायत दवारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त समझी जायेगी एवं किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है तथा निर्माण किया गया है कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा तथा आवेदक की कीमत पर तुडवाया जा सकता है ।

इस अनुज्ञा पत्र की कम सं0 01 से 17 तक अकित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।उपरोक्तानुसार स्वीकृति के अनुपालन में मानचित्र निर्गत किया जाता है एवं भवन निर्माण मानचित्र की अनुज्ञा प्रदान की जाती हैं।

अभियंता
जिला पंचायत,रामपुर।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत रामपुर

कार्यालय जिला पंचायत रामपुर।

पत्रांक 1693 /जि0पं0 दिनांक 11-01-2023

प्रतिलिपि 1– श्री चरनपाल सिंह पुत्र स्वः श्री हीरा सिंह सोबती नि0 80–ए,माडल टाउन बरेली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,रामपुर।